का दर्जा केवल उनके उन्हें वरिष्ठ वेतनमान देने के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि वे अब भी उन्हीं स्थानों पर वही कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आयुर्वेद और होम्योपैथिक चिकित्सकों के मामले में भी वही मानदंड न अपनाये जाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उनकी प्रतिभा के आधार पर उन्हें वरिष्ठ वेतनमान देने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका में एलोपैथिक डाक्टरों के लिये 1100-1600/रु० के वेतनमान में सहायक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के तीन पद थे । 1100-1600 रुपये के वेतनमान में नये पद नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एलोपैथिक डाक्टरों को पदोन्नति के अवसर देने के लिए हैं ।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका आयुर्वेद और होम्योपैथी के डाक्टरों के लिए वरिष्ठ वेतनमान में पद सृजित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ।

लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति अपनाने के कारण

2816. श्री बिरदा राम फुलवारिया : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि देश में लड़कियां वेश्यावृत्ति का अवैध व्यवसाय क्यों अपनाती हैं तथा इसके प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ख) उनके सुधार के लिए क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) उनकी राज्यवार अनुमानित संख्या क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) लड़कियों द्वारा वेश्यावृत्ति का अवैध धन्धा अपनाने के कई सामाजिक, आर्थिक कारण हैं जैसे औद्योगीकरण और परिणामस्वरूप शहरीकरण जिससे लोगों की गांव से शहर की ओर जाने की प्रवृत्ति बढ़ना और संयुक्त परिवार पद्धति तथा सामाजिक नियंत्रण के परंपरागत तरीकों का समाप्त हो जाना जैसे प्रमुख कारण है ।

(ख) महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 में 1978 में यथा संशोधित, वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों और महिलाओं के शोषण की मनाही है । इस अधिनियम में अनैतिक धंधे, वेश्यालयों और अन्य किस्म की पेशावर बुराइयों को समाप्त करने के लिए क्रमिक उपाय करने की व्यवस्था है और इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं का अपहरण, बिक्री करना भगा कर ले जाना, फुसलाकर ले जाना और अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के उपबंधों को सशक्त बनाना है। केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के कारगर कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए है ।

समाज कल्याण मंत्रालय नए अल्पवास गृह खोलने और चालू गृहों के रखरखाव के स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान भी दे रहा है। ये गृह मुख्य रूप से उन महिलाओं और लड़कियों के लिए हैं जो या तो अनैतिक धंधों के लिए विवश

हों या पारिवारिक मतभेद के कारण संबंधों को बिगड़ने या परिवार और समाज में समायोजन की समस्या के परिणामस्वरूप भावावेश में संतुलन खो बैठती है।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

Rules for Recruitment of Class IV Staff

2817. SHRI D.S.A. SHIVAPRAKASHAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any Rules have been framed regarding the recruitment of class IV services and posts like Gangman, Pointman, etc. in various divisions of Railways;

(b) if so, details thereof; and

(c) whether employment exchange is required to be consulted or advertisement has to be published or appointing authority can *Suo Moto* appoint them?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A.B.A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) Yes, Sir.

(b) The details are attached.

(c) For regular Group D (Class IV) appointment from the open market, the vacancies have to be notified to the Employment Exchange concerned. The list of eligible persons provided by the Employment Exchange is considered as indicated in the attached statement. Recruitment is based on selection by a Selection Board constituted for the purpose. However, with a view to facilitate absorption of casual labour in regular employment on Railways, at present virtually all Group D vacancies (with a few exceptions like Workshops, compassionate appointments, etc.) are filled by screening and absorption of casual labour/substitutes.

Statement

Recruitment of Class IV Railway Servants

Broadly stated, the following procedure has been laid down for recruitment of Group D (Class IV) railway servants against regular vacancies (other than Rakshaks (Sainiks) employed in the Railway Protection Force who are governed by the provisions of Railway Protection Force Act and Rules 1959).

(i) Periodicity of Recruitment—Recruitment should be made at intervals of one year to two years.

(ii) Recruitment Units—The unit for recruitment shall normally be the Division or District, major workshops, loco sheds C&W sick lines, P.W.I. lengths, etc. etc.

(iii) Academic qualifications Literacy as a qualifying condition—

(a) is insisted upon only for those categories for which it is essential for the proper execution of duties. For recruitment of Khalasis in diesel/electric sheds, minimum formal educational qualifications have been laid down. The minimum standard need not be the same for all class IV services. For example, it would have to be higher for a Fireman than, say, for a Khalasi.

(b) literacy is not insisted upon at present, for all other categories, but as amongst candidates considered suitable for appointment, preference should be given to literate candidates.